

## आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्ताक, १९४९ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०.....

से.....

तक

जिला.....

सं०.....

लंबा ७९

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम  
संख्या  
कीस तारीख  
७

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

२

आदेश पर की गई<sup>1</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
ठिप्पणी, तारीख-सहित

३

**आयुक्त व्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा**

भूमि विवाद अपील संख्या-४४९/२०१२

नागेश्वर पासवान ..... अपीलकर्ता

बनाम

अगम लाल पासवान एवं अन्य ..... विपक्षीगण

**आदेश**

१५.९.१४


यह अपीलवाद, अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, त्रिवेणीगंज के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-४०/२०१२-१३ में पारित आदेश दिनांक १५.०९.२०१२ के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।


उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि खाता संख्या ३८६ पुराना खेसरा संख्या ४१५७ नया खेसरा ४४८५ रक्बा १२ डी० मौजा गोनहा थाना त्रिवेणीगंज जिला सुपौल की जमीन केवाला के द्वारा ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल पिता हीरा लाल अग्रवाल से दस्तावेज संख्या- ४१५८ दिनांक- ९.०६.१९८१ के द्वारा खरीद हैमुताविक खरीदगी अपीलकर्ता के नाम से दाखिल खरिज हो गया है। अपीलकर्ता पहले बटाईदार के हैसियत से दखलकार थे वाद में खरीददार के हैसियत से दखलकार हैं, जिसपर धर मकान भी खेसरा संख्या- ४१५७ पर अपीलकर्ता का है, इसी आधार पर निम्न व्यायालय में अपना दावा लाये थे।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि (रक्बा १२ डी० सहित) वर्ष १९८१ में क्रय किये गए कुल भूमि १ एकड़ ४१ डी० जिसमें खाता सं० ३८६/४३४ नया तथा खेसरा सं० ४१५७ (पुराना)/४४८५ नया रक्बा १२ डी० के लिए अंचलाधिकारी के व्यायालय ने नमाख्नान्तरण वाद सं० ५५७/८७-८८ लाये थे तदनुसार उनका जमावन्दी नं० ३३ कायम है जिसका अद्यतन रसीद २००७-०८ से २०१४-१५ तक निर्गत है जो अभिलेख के साथ संलग्न है, देखा गया। अपीलार्थी


द्वारा मात्र 12 डिंडी पर वाद लाया गया है। वस्तुतः निम्न न्यायालय द्वारा जमाबन्दी इनका कायम दुआ है उसे छोड़ दिया गया है।

प्रत्यार्थी विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर 12 वर्षों से ज्यादा समय से दखलकार है एवं इन्दिरा आवास बनाया जा चुका है। विपक्षी भूमिहीन है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के नाम से कोई जमाबन्दी नहीं है, वस्तुतः अभिलेख पर उपलब्ध कागजात  सम्पुष्टि नहीं करता है।

निम्न न्यायालय में इन्हीं सब कागजातों के आधार पर सुनवाई की है और किसी तरह का स्थल जाँच इस वाद में नहीं किया गया है।

विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि के 12 डिंडी जमीन पर इन्दिरा आवास निर्मित वर्ष 1992 से ही बताया गया है, बी०पी०पी०एच०टी० एक्ट 1947 के तहत पर्चा पर कार्यवाई हो यह निर्विवाद है। फिर भी इन्दिरा आवास निर्माण में सरकारी धन लगा है तो इसके पूर्व किसी  द्वारा भूमि सम्बन्धी प्रतिवेदन दिया गया है, इसकी स्थल जाँच सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी करवाकर अपेक्षित कार्यवाई हेतु प्रतिवेदन देंगे। वस्तुतः वासगीत/ बी०पी०पी०एच०टी० पर्चा निर्गत होने के पश्चात् ही इन्दिरा आवास का निर्माण होना है, इसके लिए विपक्षी दोषी नहीं माने जा सकते हैं। स्थल जाँच से विपक्षीगण भूमिहीन श्रेणी में पाये गये तथा इन्दिरा आवास निर्मित है तो इसका मुआबजा भूधारी को मिलना चाहिए। इस हद तक निम्न न्यायालय के आदेश में संशोधन के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित पूर्व संशोधित।

  
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

36/159/14  
आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा।